कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा, जिला बालोतरा (राज.)

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

क्रमांक : 2026/10 दिनांक : 06.03.2026

मैं नुकेश भगोरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, के पत्र कमांक – Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता हूं कि इस कार्यालय के आदेश कमांक 2026/02 दिनांक 29.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम से पूर्व अंकित तिथि को बालोतरा न्यायक्षेत्र में **माह मार्च, 2026** के निम्नलिखित राजकीय अवकाशों में बालोतरा मुख्यालय (सम्पूर्ण राजस्व जिला) में स्थित न्यायालयों के, यथा विधिनुसार, आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक प्रकृति के कार्य, यथा पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा प्रतिप्रेषण, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु–समीक्षा जॉच, धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् इन्वेन्ट्री एवं अन्य सभी प्रकृति के आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल संबंधी कार्य हो, तो उस संबंध में अपने न्यायालय में उपस्थित होकर **कार्यालय समय 11:00 ए.एम से 01:00 पी.एम.** तक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से तक अधिकृत करता हूँ –

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी मय पद
01	10.03.2026	श्रीमती सोनल ललवानी, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा

नोट :– साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हे उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतू अधिकृत नही किया गया हैं, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/रूपांतरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित करेंगे।

(नुकेश भगोरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा।

क्रमांक :– 1565 दिनांक :– 06.03.2026

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बालोतरा।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 बालोतरा/संख्या 02 बालोतरा।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा/सिवाना/सिणधरी/पचपदरा।
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा।
5. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि नियत समयावधि में न्यायालय में अभियुक्तगण को व आवश्यक कार्य हेतु उपस्थित होवे एवं विशेष परिस्थिति में आवास पर अभियुक्तगण को पेश करने की स्थिति में अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नही कराया जावें।
6. आबकारी अधिकारी, बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करते हुए निर्देशित करावे कि नयत समयावधि में न्यायालय में अभियुक्तगण को व आवश्यक कार्य हेतु उपस्थित होवे एवं विशेष परिस्थिति में आवास पर अभियुक्तगण को पेश करने की स्थिति में अधिकारीगण के आवासीय परिसर में बिना आज्ञा मुलजिमान को प्रवेश नही कराया जावें।
7. सहायक निदेशक, अभियोजन, बालोतरा।
8. सिस्टम अधिकारी, जिला न्यायालय, बालोतरा, को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. कन्ट्रोल रूम, बालोतरा।
10. रक्षित पत्रावली।

(नुकेश भगोरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बालोतरा।